2011: सीजीएचसी: 10863-डीबी

दांडिक अपील क्रमांक 745/1994

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा और

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायमूर्तिगण।

दांडिक अपील क्रमांक 745/1994

श्रीमती मधु उर्फ माधुरी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

विचारार्थ प्रस्तुत।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

मैं सहमत हूँ

सही/-
आर.एस. शर्मा
न्यायमूर्ति

निर्णय हेतु दिनांक: 30/08/2011 सूचीबद्ध करे।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

2011: सीजीएचसी: 10863-डीबी

दांडिक अपील क्रमांक 745/1994

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा और

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायमूर्तिगण

दांडिक अपील क्रमांक 745/1994

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी: श्रीमती मधु उर्फ माधुरी, पिता:राम प्रसाद गुप्ता,

उम्र 20 वर्ष, निवासी: पेंड्रा, थाना: गौरेला, जिला: बिलासपुर

बनाम

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

(दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973)

उपस्थिति:

श्री सुरेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री नीरज मेहता के साथ, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता, राज्य के लिए।

2011: सीजीएचसी: 10863-डीबी

दांडिक अपील क्रमांक 745/1994

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांक (30.08.2011)</u>

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति** द्वारा प्रदान किया गया।

(1)यह अपील 20 जुलाई 1994 को सत्र विचारण क्रमांक 174/87 में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी को आक्षेपित निर्णय द्वारा अंतर्गत धारा 302 भ. द. स के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी मृतका प्रतिमा गुप्ता की ननद है। मृतका प्रतिमा की शादी वीरेंद्र कुमार से हुई थी। घटना से 7-8 साल पहले शादी हुई थी घटना दिनांक 25.5.85 को समय रात्रि 8.30 बजे हुई थी। प्रतिमा की 3 बेटियाँ थीं, कु. रितु (अ0सा0-13), वर्षा और नेहा। प्रतिमा अपने सास-ससुर, पति, बेटियों और 3 ननदों के साथ संयुक्त रूप से रह रही थी, जिसमें अपीलार्थी भी शामिल थी। आरोप है कि दिन में कुछ झगड़े के कारण, अपीलार्थी ने दिनांक 25.5.85 को समय रात्रि 8.30 बजे मृतका के शरीर पर केरोसिन डाला और उसके बाद उसे आग लगा दी। मृतका को गंभीर जलन की चोटें आई। शोर मचाने पर, शंकरलाल अग्रवाल (अ0सा0-4) और कई अन्य लोग वहाँ आए और उसे सैनिटोरियम चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु दिनांक 26.5.85 को समय प्रातः 1.40 बजे हुई। चिकित्सालय के अधिकारियों ने पुलिस को मेमो प्र 0 पी016-ए के माध्यम से मृत्यु की सूचना दी। इस मेमो के आधार पर, मेर्ग सूचना (प्र 0 पी017) दर्ज की गई। जांच अधिकारी चिकित्सालय पहुंचा, पंचों को नोटिस दिया और मृतका के शव का मृत्युसमीक्षा (प्र 0 पी0-15) तैयार किया। घनश्यामदास गुप्ता (अ0सा0-12- मृतका के पिता) और राकेश कुमार (मृतका के भाई) भी मृत्युसमीक्षा के समय मौजूद थे। मृत्युसमीक्षा (प्र 0 पी0-15) के सभी साक्षियों ने अपनी राय व्यक्त की कि चूंकि मृतका की अस्वाभाविक मृत्यु हुई थी, इसलिए शव को शवपरीक्षण हेतु भेजा जाना चाहिए ताकि मृत्यु के कारण का पता लगाया जा सके। शवपरीक्षण डॉ. पी. के. नियोगी (अ0सा0-1) द्वारा की गई थी। उन्होंने मृतका के शरीर पर 90% जलने की चोटें देखीं। उन्होंने यकृत, दाहिने गुर्दे और आंत में भी चोटें देखीं

क्योंकि इन अंगों पर थक्का जमा हुआ रक्त मौजूद था। शव परीक्षण सर्जन ने राय दी कि उपरोक्त चोटें मृत्यु-पूर्व थी और कठोर और कुंद वस्तु से हुई होंगी। उन्होंने मृत्यु के कारण के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी कि यह हत्या या आत्महत्या थी, और इस मामले को निदेशक मेडिकोलीगल इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड मेडिसिन, एम.पी., भोपाल को उनकी राय लेने हेतु भेजा। डॉ. बी. के. तिवारी (अ0सा0-6) ने राय हेतु इस मामले को लिया और उनके द्वारा प्र 0 पी0-9 के माध्यम से एक तर्कसंगत राय दी गई, जिसके अनुसार मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी।

(3) अभियोजन पक्ष का मामला चक्षुदशी साक्षियों पर आधारित था, जिसमें कु. रितु (अ0सा0-13 मृतका की बेटी) और शंकरलाल अग्रवाल (अ0सा0-4) के सामने मौखिक मृत्युकालिक कथन शामिल था। कु. रितु (अ0सा0-13) एक बाल साक्षी थी। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उसकी साक्ष्य पर भरोसा किया और शंकरलाल अग्रवाल (अ0सा0-4) की साक्ष्य पर भी भरोसा किया और माना कि यह एक हत्या का मामला था जो अपीलार्थी के घर में हुआ था। चक्षुदशी साक्षी के अनुसार, अपीलार्थी ने मृतका पर केरोसिन डाला और उसे आग लगा दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) श्री सुरेंद्र सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जो अपीलार्थी की ओर से पेश हुए, ने तर्क दिया कि कु. रितु (अ0सा0-13) की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं थी क्योंकि उसने अपने कथन को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था और घर के अन्य लोगों को अपराध में शामिल करने की कोशिश की थी; घटना की तारीख को उसकी उम्र लगभग 4 साल थी; घटना के बाद, वह अपने नाना के साथ रही और उसकी साक्ष्य को शिक्षित किया गया प्रतीत होता है। शंकरलाल अग्रवाल (अ0सा0-4) के बारे में, उन्होंने तर्क दिया कि, वास्तव में, वह चूड़ियों के टुकड़ों के जब्ती ज्ञापन (प्र0 पी0-16) का साक्षी था, लेकिन उसने मौखिक मृत्युकालिक कथन के बारे में कथन दिया। शंकरलाल अग्रवाल (अ0सा0-4) का कोई पिछला कथन नहीं था। उसने मौखिक मृत्युकालिक कथन के बारे में पहली बार न्यायालय के समक्ष बताया मृत्युकालिक कथन । इसलिए वह भी अविश्वसनीय था। यहां तक कि तर्क हेतु भी यह माना लिया जाए कि मृतका ने शंकरलाल अग्रवाल (अ0सा0-4) के सामने मौखिक मृत्युकालिक कथन की, लेकिन कथित मृत्युकालिक कथन से अपीलार्थी की पहचान कभी स्थापित नहीं हुई। उन्होंने एक महत्वपूर्ण

परिस्थिति पर भी तर्क दिया कि मृतका के पिता, घनश्यामदास गुप्ता (अ0सा0-12) मृतका से चिकित्सालय में मिले। उन्होंने मृतका के बच्चों के भविष्य के बारे में बात की, लेकिन मृतका ने उसे कभी नहीं बताया कि उसे अपीलार्थी ने आग लगाई थी, अर्थात् यह कहना है कि मृतका के पिता के सामने कोई मृत्युकालिक कथन नहीं की गई थी जिसमें अपीलार्थी शामिल था। यदि मृतका को अपीलार्थी ने आग लगाई थी, तो सामान्य मानवीय आचरण में, मृतका को यह तथ्य अपने पिता को बताना चाहिए था।

(5) दूसरी ओर, श्री आशीष शुक्ला, विद्वान शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से पेश हुए, ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) हमने पक्षकारो के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तार से सुना है और सत्र मामले के अभिलेख का भी अवलोकन किया है।

(7) घटना का एकमात्र चक्षदर्शी एक बाल साक्षी है जिसका नाम कुः रितु अ0सा0-13 मृतका की बेटी है। वह घटना के समय लगभग 4 वर्ष की थी। उसने कथन दिया कि उसकी मां को उसकी दादी, पिता और बुआ (अपीलार्थी) ने आग लगाई थी। उसने कहानी सुनाई कि उसकी मां को कैसे आग लगाई गई। उसने कथन दिया कि उसकी दादी ने उसकी मां के हाथ और पैर पकड़े, उसके पिता ने उसकी मां के शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और उसके बाद उसकी बुआ (अपीलार्थी) ने माचिस जलाकर उसकी मां को आग लगा दी। घटना उनके घर की पहली मंजिल के एक कमरे में हुई। उसकी मां ने चीख पुकार मचाई, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। उसने आगे कथन दिया कि उसकी मां और उसकी दादी और बुआ के बीच झगड़ा हुआ था। यह उसकी मां को आग लगाने का कारण था। झगड़ा चाय साफ करने को लेकर हुआ था जो फर्श पर फैल गई थी। उसने बहुत स्पष्ट रूप से कथन दिया कि उसकी मां को चिकित्सालय नहीं ले जाया गया था। अपनी मुख्य परीक्षा के अंतिम वाक्य में, उसने कथन दिया कि उसकी मां को घर की ऊपरी छत पर आग लगाई गई थी। मृतका की हत्या में पिता और दादी की संलिप्तता से संबंधित तथ्य का इस साक्षी के केस डायरी बयानों में लोप हैं। उसके केस डायरी के कथन

(प्र 0 डी 0-3 और 4) दो मौकों पर दर्ज किए गए थे। पहला कथन (प्र 0 डी0-3) दिनांक 26.6.85 को दर्ज किया गया था, जबकि दूसरा कथन (प्र 0 डी0-4) दिनांक 29.6.85 को दर्ज किया गया था। अपने उपरोक्त दो बयानों में, उसनेकेवल अपीलार्थी के बारे में कथन दिया और उसने पिता या दादी के बारे में कोई कथन नहीं दिया। जब उसका सामना केस डायरी से तो कराया गया, तब उसने कथन दिया कि उसने ये तथ्य पुलिस को बताए थे, लेकिन अगर उपरोक्त तथ्य उसकी डायरी में दर्ज नहीं हैं, तो वह इसके कारण नहीं बता सकती। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें दोनों पिछले बयानों को एक ही पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि कु. रितु का पहला डायरी कथन (अ0सा0-13) को जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था, जबकि दूसरा डायरी कथन अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) द्वारा दर्ज किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) **दत्तू रामराव सखारे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1997) 5 एससीसी 341** में यह माना गया कि "एक बाल साक्षी, यदि तथ्यों को प्रस्तुत करने में सक्षम पाया जाता है और विश्वसनीय होता है, तो ऐसा साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार हो सकता है। दूसरे शब्दों में, शपथ की अनुपस्थिति में भी, एक बाल साक्षी के साक्ष्य पर साक्ष्य अधिनियम की अंतर्गत धारा 118 विचार किया जा सकता है, जिसमें यह प्रावधान है कि ऐसा साक्षी प्रश्नों को समझने और तार्किक उत्तर देने में सक्षम है। एक बाल साक्षी का साक्ष्य और उसकी विश्वसनीयता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। एकमात्र सावधानी जो न्यायालय को एक बाल साक्षी के साक्ष्य का आकलन करते समय ध्यान रखनी चाहिए, वह यह है कि साक्षी एक विश्वसनीय होना चाहिए और उसका आचरण किसी अन्य सक्षम साक्षी की तरह होना चाहिए और उसे सिखाए जाने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए।" इसी विचार को **निवृत्ति पांडुरंग कोकाटे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 2008 एससी 1460** में दोहराया गया है।

(9) इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बाल साक्षी विधि की नजर में एक सक्षम साक्षी है, लेकिन ऐसे मामलों में शिक्षण की संभावना हमेशा मौजूद रहती है। जबकि एक बाल साक्षी की बुनियादी मासूमियत और सच्चाई पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही विश्वसनीयता का अन्य

कारकों के प्रकाश में परीक्षण किया जाना चाहिए और शिक्षण की संभावना को पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए, खासकर जब दोषसिद्धि बाल साक्षी की एकमात्र कथों पर आधारित हो।

10) यदि हम कु. रितु (अ0सा0-13) के साक्ष्य की जांच करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी न्यायालय में साक्ष्य देने से पहले, उसने अपनी माँ की हत्या हेतु अपने पिता या दादी को कभी भी फंसाया नहीं था। यहां तक कि 2 मौकों पर भी, उसने पुलिस अधिकारियों से यह नहीं कहा कि उपरोक्त 2 व्यक्ति भी उसकी माँ की हत्या में शामिल थे। हालांकि, पहली बार न्यायालय के समक्ष, अर्थात् दिनांक 25.6.93 को, उसने अपने पिता और दादी के विरुद्ध साक्ष्य दी और कहा कि वे भी उसकी माँ की हत्या में शामिल थे। उसने सामान्य तरीके से व्यापक साक्ष्य नहीं दिए। इसके विपरीत, उसने उपरोक्त 2 व्यक्तियों द्वारा विशिष्ट कृत्य करना बताया है, जो इस मामले में आरोपी के रूप में बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। उसने साक्ष्य दी कि उसकी दादी ने उसकी माँ के हाथ-पैर पकड़े और उसके बाद उसके पिता ने उसकी माँ के शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और फिर उसकी बुआ (अपीलार्थी) ने माचिस जलाकर उसकी माँ को आग लगा दी। इस बाल साक्षी का आचरण, जिसमें 2 अन्य व्यक्तियों को फंसाया गया है, जो मामले में आरोपी नहीं थे, उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाता है। हम ध्यान देते हैं कि उक्त तरीके से उसकी स्पष्ट साक्ष्य के बाद भी, अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त 2 व्यक्तियों को इस मामले में आरोपी बनाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। कहने का तात्पर्य यह है कि कु. रितु (अ0सा0-13) के उपरोक्त साक्ष्य पर अभियोजन पक्ष द्वारा अंतर्गत धारा 319 द.प्र.स कोई आवेदन नहीं किया गया था। कु. रितु का साक्ष्य इस आधार पर भी संदेहास्पद है कि उसने साक्ष्य दी कि उसकी माँ को कभी चिकित्सालय नहीं ले जाया गया, जबकि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि घटना के बाद मृतका को चिकित्सालय ले जाया गया जहाँ वह देर रात तक जीवित रही और समय प्रातः 1.40 बजे उसकी मृत्यु हो गई। कु. रितु (अ0सा0-13) का साक्ष्य घटना स्थल के संबंध में भी अस्थिर है। ऐसा प्रतीत होता है कि घटना पहली मंजिल के एक कमरे में हुई थी, लेकिन एक अवसर पर उसने साक्ष्य दी कि घटना घर के ऊपरी मंच (छत) पर हुई थी। कु. रितु (अ0सा0-13) ने कंडिका-15 में इस सुझाव से इनकार किया है कि उसकी माँ ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके आत्महत्या की थी। हालांकि उसने स्वीकार किया कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और उसे बाहर से हाथ डालकर खोला गया था। उसने आगे कहा कि शुरू में दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन जलने के बाद, उसकी माँ दरवाजा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

खोलने की कोशिश कर रही थी, दरवाजा अंदर से बंद हो गया जो बाद में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाहर से खोला गया। इसलिए, विवेचन में यह आता है कि दरवाजा अंदर से बंद था जिस हेतु कु. रितु द्वारा उपरोक्त स्पष्टीकरण दिया गया था। इससे संदेह भी पैदा होता है। यदि किसीव्यक्ति को वास्तव में किसी ने आग लगाई थी, तो कमरे का दरवाजा अंदर से कैसे बंद किया जा सकता है जिससे मृतका अकेला रह जाए।

(11) घश्यामदास गुप्ता, (अ0सा0-12) मृतका के पिता हैं। उन्होंने साक्ष्य दिया कि मृतका की एक बेटी, जिसका नाम वर्षा था, उनके साथ अनूपपुर में रह रही थी, और अन्य 2 बेटियां, जिनमें कु. रितु (अ0सा0-13) भी शामिल हैं, घटना के बाद से अनूपपुर में रह रही हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि कु. रितु लगातार अपनी नानी के साथ घटना की तारीख से रह रही है, अर्थात् 1985 से उस तारीख तक जब उसकी न्यायालय में परीक्षा हुई, जो दिनांक 25.6.93 को हुई थी और उपरोक्त स्थिति में, उसके पढाये सिखाये की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में, हमारा मानना है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा बाल साक्षी कु. रितु (अ0सा0-13), जो घटना की तारीख को लगभग 4 साल की थी, की कथनों पर भरोसा किया जाना उचित नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) अब हम मृत्युकालिक कथन के साक्ष्य पर विचार करेंगे।

(13) अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि घटना के तुरंत बाद, शोर मचाने पर, मोहम्मद नईम (अ0सा0-2) सहित कई ग्रामीण और शंकरलाल अग्रवाल (अ0सा0-4) अपीलार्थी के घर पहुंचे। उन्होंने मृतका को जली हुई हालत में देखा। मोहम्मद नईम (अ0सा0-2) पक्षद्रोही हो गया है और उसने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है। शंकरलाल अग्रवाल (अ0सा0-4) ने कथन दिया कि मृतका ने उसे बताया कि उसे उसकी ननद ने जलाया था। शंकरलाल अग्रवाल (अ0सा0-4) को मौखिक मृत्युकालिक कथन के साक्षी के रूप में उद्धृत नहीं किया गया था। अभियोजन के अनुसार, वह जब्ती पत्रक (प्र0 पी016) का साक्षी था। जब वह न्यायालय में पेश हुआ, तो उसने कथन दिया कि मृतका ने

उसके सामने उपरोक्त तरीके से मौखिक मृत्युकालिक कथन किया था। श्री सुरेंद्र सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीलार्थी के लिए, ने तर्क दिया है कि शंकरलाल अग्रवाल (अ0सा0-4) की पुलिस द्वारा जांच नहीं की गई थी और इस साक्षी का अंतर्गत धारा 161 द.प्र.स के अंतर्गत कोई पिछला कथन नहीं है। इसलिए, मौखिक मृत्युकालिक कथन से संबंधित उसका कथन, जिसके साथ वह पहली बार न्यायालय में कह रहा है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकताहै। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **राम लखन सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1977 एससी 1936** में दिये गये फैसले का उल्लेख किया।

(14) उपरोक्त निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "हत्या जैसे गंभीर आरोप में, ऐसे साक्षी पर भरोसा करना उचित नहीं होगा जो जांच के दौरान कभी सामने नहीं आया और आरोप पत्र में नामित नहीं था। आरोपी जो पुलिस को अपना पिछला कथन जानने के हकदार हैं, स्वाभाविक रूप से प्रभावी जिरह के अवसर से वंचित हैं और ऐसे कथन को कोई महत्व देना मुश्किल होगा जो घटना के समय एक साल बाद न्यायालय में दिया गया था। इसलिए, हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते कि उच्च न्यायालय इस साक्षी के कथनों को अन्य साक्षियों की साक्ष्य को आश्वासन देने के रूप में स्वीकार करने में सही था, जिसके आधार पर शायद उच्च न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराने में खुद को असुरक्षित महसूस किया।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) यह स्वीकार किया जाता है कि शंकरलाल अग्रवाल (अ0सा0-4) का 161 द प्र. स के अंतर्गत कोई कथन नहीं है। वह जब्ती पत्रक (प्र0 पी0-16) का साक्षी था। उसने पहली बार न्यायालय के समक्ष 7 साल से अधिक समय के बाद कथन दिया कि मृतका ने उसके सामने मौखिक मृत्युकालिक कथन किया था। यहां तक कि उक्त मृत्युकालिक कथन में भी, उसने कथन दिया कि मृतका ने कहा था कि उसे उसकी सास और ननंद ने जलाया था। उसके साक्ष्य के अनुसार, मृतका ने कथित मौखिक मृत्युकालिक कथन देते समय अपीलार्थी के नाम का खुलासा कभी नहीं किया। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि मृतका की 3 ननदें थीं, इस तथ्य को घनश्यामदास गुप्ता (अ0सा0-12) ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है। सास आरोपी नहीं थी। इसलिए, भले ही हम शंकरलाल अग्रवाल (अ0सा0-4) के

इस कथन पर भरोसा करें कि मृतका ने उसके समक्ष कथित मृत्युकालिक कथन दिया था, अपीलार्थी की पहचान उक्त मृत्युकालिक कथन द्वारा कभी स्थापित नहीं किया गया था।

(16) **गोपाल सिंह और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, एआईआर 1972 एससी 1557** में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि "यह सुस्थापित विधि है कि एक न्यायालय मृत्युकालिक कथन के एकमात्र आधार पर दोषी ठहराने की हकदार है यदि यह ऐसा है कि मामले की परिस्थितियों मेंइसे सत्य माना जा सकता है। हालांकि, एक मृत्युकालिक कथन जिसमें अपराध के आरोप में व्यक्तियों के पूरे नाम और पते शामिल नहीं हैं, भले ही उनकी पहचान स्थापित करने में मदद मिल सकती है, ऐसी प्रकृति की नहीं है जिसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सके। इसे संपुष्टि के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) घनश्यामदास गुप्ता (अ0सा0-12) ने कथन दिया कि जैसे ही उन्हें मृतका को लगी चोटों के बारे में संदेश मिला, वह तुरंत मृतका के ससुराल वालों के घर गए और यह जानने के बाद कि मृतका को चिकित्सालय ले जाया गया है, वह चिकित्सालय गए। मृतका होश में था। उन्होंने मृतका से बात की थी। मृतका ने कभी भी अपने पिता घनश्यामदास गुप्ता (अ0सा0-12) को यह नहीं बताया कि उसे अपीलार्थी द्वारा आग लगाई गई थी। यदि वास्तव में अपीलार्थी द्वारा मृतका को आग लगाई गई थी हमारे विचार में, सामान्य मानवीय आचरण में, उपरोक्त तथ्य मृतका द्वारा उसके पिता को बताए जाने चाहिए थे, लेकिन मृतका ने यह सब कभी भी अपने पिता को नहीं बताया और उसने सिर्फ अपने बच्चों के बारे में बात की।

(18) मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, हम इस विचार के हैं कि मौखिक मृत्युकालिक कथन का साक्ष्य अस्थिर था और यह उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ कि मृतका ने, वास्तव में, शंकरलाल अग्रवाल (अ0सा0-4) के समक्ष मौखिक मृत्युकालिक कथन दिया था ।

(19) हमारा आगे यह भी विचार हैं कि घनश्यामदास गुप्ता (अ0सा0-12) और राकेश कुमार (मृतका के आई) दोनों मृत्युसमीक्षा (प्र0 पी0-15) के समय मौजूद थे। जांच में कोई बात नहीं बताया कि मृतका को अपीलार्थी द्वारा आग लगाई गई थी और यह एक मानववध था। यदि घनश्यामदास गुप्ता (अ0सा0-12 मृतका के पिता) और राकेश कुमार (मृतका के भाई) जानते थे कि यह हत्या का मामला था और अपीलार्थी ने मृतका को आग लगाई थी, तो उन्होंने यह तथ्य मृत्युसमीक्षा के समय पुलिस को बताते । घनश्यामदास गुप्ता (अ0सा0-12) ने दावा किया कि कु. रितु (अ0सा0-13) ने उन्हें बताया था कि उनकी माँ को अपीलार्थी द्वारा आग लगाई गई थी। इसलिए, यहां तक कि उस जानकारी को भी मृत्युसमीक्षा के समय पुलिस को उनके द्वारा बलाया जाना चाहिए था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कम से कम मृत्युसमीक्षा तक किसी को भी इस बात की जानकारीनहीं थी कि घटना कैसे हुई और कथित मौखिक मृत्युकालिक कथन का साक्ष्य आगे संदेहास्पद हो जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(20) उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, हम अपीलार्थी की दोषसिद्धि को या तो एकमात्र बाल साक्षी कु. रितु (अ0सा0-13) के जो उसने चक्षुदर्शी साक्ष्य पर या मृतका द्वारा कथित रूप से दिए गए मौखिक मृत्युकालिक कथन को कायम रखने असमर्थ है। शंकरलाल अग्रवाल (अ0सा0-4) के सामने दिया था। हमारा विचार है कि साक्ष्य के उपरोक्त सेट पर आधारित दोषसिद्धि को अपास्त जाने योग्य है और अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का हकदार है।

(21) तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को अंतर्गत धारा 302 भ द. स के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया जाता है। उसे उस पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है। उसकी जमानत बंधपत्र निरस्त किया जाता हैं और प्रतिभूओं को उन्मोचित कर दिया गया है।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

सही/-
आर.एस. शर्मा
न्यायमूर्ति

___00___

2011: सीजीएचसी: 10863-डीबी

दांडिक अपील क्रमांक 745/1994

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Adv. Shruti Navratna

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur